



# पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

## सराहनीय कार्य

दिनांक 04.04.2021

1-थाना बादलपुर पुलिस द्वारा 02 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 504 बोतल मार्का अवैध OFFICERS CHOICE FOR SALE IN NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI ONLY बरामद।

दिनांक 03.04.2021 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा 02 शराब तस्कर अभियुक्त 1. हरेन्द्र पुत्र नत्थूराम निवासी म0 नं0 26 गली नं0 12 जाफरपुर कंल थाना जाफरपुर कंला रावता मोड नई दिल्ली 2. विजय कुमार पुत्र रोहताश निवासी आरजेडबी 246 नंदा एन्कलेव थाना बाबा हरिदास नगर नजफगढ दिल्ली को थाना क्षेत्र के भारत धर्मकांटा के सामने जीटी रोड छपरौला से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 504 बोतल मार्का अवैध OFFICERS CHOICE PRESTIGE WHISKY FOR SALE IN NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI ONLY बरामद हुई है।

### अभियुक्तों का विवरण:

- 1.हरेन्द्र पुत्र नत्थूराम निवासी म0 नं0 26 गली नं0 12 जाफरपुर कंल थाना जाफरपुर कंला रावता मोड नई दिल्ली।
- 2.विजय कुमार पुत्र रोहताश निवासी आरजेडबी 246 नंदा एन्कलेव थाना बाबा हरिदास नगर नजफगढ दिल्ली।

### पंजीकृत अभियोग का विवरण:

1. मु0असं0 85/21 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर बनाम हरेन्द्र।
2. मु0असं0 86/21 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर बनाम विजय कुमार।

## बरामदगी का विवरण:

504 बोतल मार्का अवैध OFFICERS CHOICE PRESTIGE WHISKY FOR SALE IN NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI ONLY



2-थाना ईकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा अवैध खनन कर रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 ट्रैक्टर न्यू हॉलैण्ड बिना नम्बर इंजन नम्बर बी 98422 एवं चेसिस न0 458079 मय 01 अवैध रेत से भरी ट्रॉली बरामद।

दिनांक 04.04.2021 को थाना ईकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा अवैध खनन कर रहा 01 अभियुक्त सौरव पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम फरीदपुर थाना खेडीपुर जिला फरीदाबाद हरियाणा को थाना क्षेत्र के मोतीपुर मढैया के जंगल से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 ट्रैक्टर न्यू हॉलैण्ड बिना नम्बर इंजन नम्बर बी 98422 एवं चेसिस न0 458079 मय 01 अवैध रेत से भरी ट्रॉली बरामद किये गये हैं।

अभियुक्त का विवरण:

1.सौरव पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम फरीदपुर थाना खेडीपुर जिला फरीदाबाद हरियाणा।

अभियोग का विवरण:

1.मु0अ0सं0 21/2021 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनन अधि0 थाना ईकोटेक प्रथम गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

01 ट्रैक्टर न्यू हॉलैण्ड बिना नम्बर इंजन नम्बर बी 98422 एवं चेसिस न0 458079 मय 01 अवैध रेत से भरी ट्रॉली।

### 3-थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट में जिला बदर किया गया अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04/04/2021 को थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट में जिला बदर किया गया अभियुक्त सन्तराम उर्फ सन्तराज पुत्र अमीचन्द निवासी ग्राम तुगलपुर थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर को जिला बदर समयावधि के अंतर्गत उपस्थित रहने पर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसका जनता में भय व आतंक व्याप्त है। अभियुक्त के कृत्यों के कारण अभियुक्त के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए जिला बदर किया गया था।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

सन्तराम उर्फ सन्तराज पुत्र अमीचन्द निवासी ग्राम तुगलपुर थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर।

#### आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 984/16 धारा 376 डी, 506 आईपीसी व 67 आई टी एक्ट व 3(1) 12 व 3(2) एससी/एसटी एक्ट थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 387/16 धारा 3/4 गुण्डा अधि0 थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 182/2021 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।

4-थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा 03 शातिर लूटेरे/चेन स्रैचर गिरफ्तार, कब्जे से 02 गले की चेन पीली धातु, 07 मोबाइल फोन अलग-अलग कम्पनियों के ,10,000 रूपये नगद, 01 चोरी की स्कूटी ,घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल, 01 अवैध तमंचा मय कारतूस व 02 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 04.04.2021 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा 03 शातिर लूटेरे/चेन स्रैचर 1. सलमान पुत्र इलियास 2. हाशिम पुत्र हारुन 3. शहरोज पुत्र मौ0 अतीक को थाना क्षेत्र के सहारा कट सेक्टर 63 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस , 02 अवैध चाकू , 02 चेन गले की (पीली धातु), 07 मोबाइल फोन अलग-अलग कम्पनियों के, 10,000 रूपये नगद, 01 स्कूटी न0 यूपी 81 सीके 1599, 02 मोटर साइकिल बरामद की गई है।

#### घटनाक्रम:

सभी अभियुक्त मिलकर एनसीआर व थाना क्षेत्र में आये दिन मोटरसाइकिल पर सवार होकर राह चलते लोगों से मोबाइल व चेन लूट/छिनैती की घटना कारित करते है व रात में अंधेरे का फायदा उठाकर आम जनता के आते-जाते व्यक्तियों को चाकू व तमंचा दिखाकर डराते है फिर उनसे लूटपाट करते है।

## अभियुक्तों का विवरण:

- 1.सलमान पुत्र इलियास निवासी संतोष मेडिकल के पास प्रताप विहार मिर्जापुर जिला गाजियाबाद।
- 2.हाशिम पुत्र हारुन निवासी गली नं0 3 ममूरा सेक्टर 66 थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
- 3.शहरोज पुत्र मौ0 अतीक निवासी गाँव हसन पुर थाना हयातनगर जिला सम्भल वर्तमान पता गली नं0 5 मुर्गा मण्डी के पीछे संजय चौहान का मकान ममूरा थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

## आपराधिक इतिहास का विवरण:

### अभि0 सलमान

- 1.मु0अ0सं0 277/21 धारा 411/414 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 278/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 71/21 धारा 379/411 भादवि थाना गभाना अलीगढ़।
- 4.मु0अ0सं0 185/21 धारा 392/411 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।
- 5.मु0अ0सं0 253/21 धारा 379/411 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
- 6.मु0अ0सं0 276/21 धारा 392/411 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।
- 7.मु0अ0सं0 763/16 धारा 392 थाना सेक्टर 24 गौतमबुद्धनगर।
- 8.मु0अ0सं0 466/18 धारा 380/411 भादवि थाना इकोटेक तृतीय गौतमबुद्धनगर।
- 9.मु0अ0सं0 470/18 धारा 25ए एक्ट थाना इकोटेक तृतीय गौतमबुद्धनगर।
- 10.मु0अ0सं0 707/15 धारा 379/411/414/420 भादवि व 4/25ए एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद।
- 11.मु0अ0सं0 950/15 धारा 392 थाना विजयनगर गाजियाबाद।
- 12.मु0अ0सं0 706/15 धारा 379/411/414/420 भादवि व 4/25ए एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद।
- 13.मु0अ0सं0 705/15 धारा 379/411/414/420 भादवि व 4/25ए एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद।
- 14.मु0अ0सं0 629/15 धारा 379/411 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद।
- 15.मु0अ0सं0 339/15 धारा 379/411 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद।
- 16.मु0अ0सं0 224/20 धारा 411/414 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद।

17.मु0अ0सं0 190/20 धारा 392/411 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद।

अभि0 हाशिम

1.मु0अ0सं0 277/21 धारा 411/414 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 279/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 185/21 धारा 392/411 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 276/21 धारा 392/411 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0सं0 716/20 धारा 392/411 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

6.मु0अ0सं0 560/17 धारा 379/411 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

अभि0 शहरोज

1.मु0अ0सं0 277/21 धारा 411/414 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 280/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0सं0 253/21 धारा 379/411 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

**बरामदगी का विवरण:**

1 01 अवैध तंमचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस

2. 02 अवैध चाकू

3. 02 चैन (पीली धातु की) सम्बन्धित मु0अ0सं0 276/21 धारा 392/411 भादवि व मु0अ0सं0 716/20 धारा 392/411 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर

4. 07 मोबाइल अलग-अलग कम्पनियो के

5. कुल 10000 रूपये नगद

6. 01 स्कूटी न0 यूपी 81सीके1599 सम्बन्धित मु0अ0सं0 71/21 धारा 379/411 भादवि थाना गभाना अलीगढ।

7. 02 मोटर साइकिल जिनमें 01 मोटरसाइकिल प्लसर रंग काला न0 यूपी 14 बीएम 6676 व टीवीएस स्पोर्ट नं0 यूपी 14 ईएम 4708



## **5-थाना दनकौर पुलिस द्वारा हत्या का सफल अनावरण करते हुए हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कल्ल ईट रक्त रंजित झाड़ियों से बरामद।**

दिनांक 23.2.2021 की रात गिरेंद्र उर्फ टेलर की पत्नी उर्मिला देवी निवासी राईया थाना सासनी जिला हाथरस को गंभीर रूप से घायल कर घर से बाहर जंगल में फेंक दिया था उक्त घटना के संबंध में थाना दनकौर पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत किया गया था , दिनांक 04.04.2021 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा हत्या का सफल अनावरण करते हुए हत्या करने वाले अभियुक्त रविंद्र उर्फ पप्पी निवासी चपरगढ़ थाना दनकौर को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कल्ल ईट रक्त रंजित झाड़ियों से बरामद की गई है।

### **घटना का विवरण:**

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि घटना की रात्रि वह नशे की हालत में था जब वह बाहर निकला तो मृतिका किराए के कमरे में अकेली थी अभियुक्त ने मृतिका के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया तथा मृतिका द्वारा विरोध करने पर अभियुक्त ने मृतका के सिर पर चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया एवं होश आने पर पहचान कर नाम ना बता दे इस कारण मृतका को कमरे से उठाकर जंगल में ले जाकर पुनः सिर पर ईट से कई वार किए एवं मृत समझकर छोड़कर भाग गया और घटना में प्रयुक्त ईट को झाड़ियों में छिपा दिया।

### **अभियुक्त का विवरण:**

रविंद्र उर्फ पप्पी पुत्र कालू भगत निवासी चपरगढ़ थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर।

## अभियोग का विवरण:

मु0अ0स0 54/2021 धारा 302, 354, 449 भादवि थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

## बरामदगी का विवरण:

अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कल्ल ईट रक्त रंजित



6-थाना कासना पुलिस द्वारा 03 वांछित लुटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 06 मोबाइल फोन, 01 नं0 प्लेट , 03 अवैध तमंचे मय 06 जिन्दा कारतूस ,01 मोटर साइकिल ,लूट के 9500 रूपये नकद व 02 जोड़ी बाली बरामद।

दिनांक 04/04/2021 को थाना कासना पुलिस द्वारा मु0अ0स0 347/2020 धारा 394/411 भादवि एवं मु0अ0स0 21/2021 धारा 392/411 भादवि में वांछित 03 अभियुक्त 1.धर्मेन्द्र चौहान पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नरसैना थाना नरसैना जिला बुलन्दशहर 2. सागर पुत्र अशोक निवासी ग्राम नरसैना थाना नरसैना जिला बुलन्दशहर 3. अंकित पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम नरसैना थाना नरसैना जिला बुलन्दशहर को थाना क्षेत्र के सिकन्द्राबाद कासना रोड स्थित पीर बाबा मजार से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 06 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियों के , 01 नं0 प्लेट , 03 अवैध तमंचे मय 06 जिन्दा कारतूस, 01 मोटर साइकिल अपाचे रग काला व 02 जोड़ी वाली सम्बन्धित मु0अ0सं0- 347/2020 धारा 394/411 भादवि व 9500 रूपये नकद सम्बन्धित मु0अ0सं0 21/2021 धारा 392/411 भादवि, बरामद हुए है।

अभियुक्त शातिर किस्म के लुटेरे एवं मोबाइल चोर है। जिन्होंने ओमीक्रोन 1A में लूट की घटना को अंजाम दिया तथा अभियुक्त सागर व अंकित ने थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लडपुरा में हुयी लूट की घटना को अंजाम दिया है।

## अभियुक्तों का विवरण:

1. धर्मेन्द्र चौहान पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नरसैना थाना नरसैना जिला बुलन्दशहर।
2. सागर पुत्र अशोक निवासी ग्राम नरसैना थाना नरसैना जिला बुलन्दशहर।
3. अंकित पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम नरसैना थाना नरसैना जिला बुलन्दशहर।

## आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु0अ0सं0 78/2021 धारा 411,414,482 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर बनाम धर्मेन्द्र , सागर , अंकित।
2. मु0अ0सं0 347/2020 धारा 394/411 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर बनाम धर्मेन्द्र , सागर , अंकित।
3. मु0अ0सं0 21/2021 धारा 392/411 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर बनाम सागर , अंकित।
4. मु0अ0सं0 79/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कासना गौतमबुद्धनगर बनाम धर्मेन्द्र।
5. मु0अ0सं0 80/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कासना गौतमबुद्धनगर बनाम सागर।
6. मु0अ0सं0 81/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कासना गौतमबुद्धनगर बनाम अंकित।

## बरामदगी का विवरण:

1. 06 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियों के
2. 01 नं0 प्लेट
3. 03 अवैध तमंचे मय 06 अदद जिन्दा कारतूस
4. 01 मोटर साइकिल अपाचे रग काला
5. 02 जोडी बाली सम्बन्धित मु0अ0सं0 347/2020 धारा 394/411 भादवि
6. 9500/- रूपये सम्बन्धित मु0अ0सं0- 21/2021 धारा 392/411 भादवि





#पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर विशेष अदालत गैंगस्टर एक्ट के आदेशानुसार दिनांक 04.04.2021 थाना कासना पुलिस द्वारा बाइक बोट प्रकरण में अभियुक्त विशाल भारद्वाज निवासी मवाना मेरठ पर गैंगस्टर की कार्यवाही करते हुए मवाना में दो मकान, भैसूमा और हुमायूँपुर गांव में साढ़े चौदह बीघा जमीन जिसकी लागत लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपये राज्यहित में कुर्क की गयी है। बाइक बोट से सम्बंधित अन्य अभियुक्तों की संपत्ति की भी तलाश की जा रही है। उनके विरुद्ध भी कुर्की की कार्यवाही शीघ्र ही की जाएगी।

